

## जयपुर के कोचिंग संचालक ध्यान दें

### कोचिंग हब में आवंटन का तृतीय चरण प्रारंभ

पिछले दिनों दिल्ली के मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में लगी आग में फंसे छात्रों ने तीन मंजिल से कूदकर और रस्सियों से लटककर अपनी जान बचाई। इन बिल्डिंगों में ना फायर फाइटिंग सिस्टम था और ना ही बचाव और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।

वहीं जयपुर के प्रताप नगर स्थित कोचिंग हब छात्र-छात्राओं के लिए न केवल अध्ययन का खुशनुमा माहौल उपलब्ध करा रहा है बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सिक्योरिटी, सर्विलांस सिस्टम के साथ बेहतर फायर फाइटिंग सुविधाएं भी दे रहा है। कोचिंग हब में छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए 2 करोड़ रुपए का सर्विलांस स्ट्रक्चर विकसित किया है, जहां 510 उच्च क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरों से चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही सुरक्षा के लिए 24 घंटे सर्विलेंस व्हीकल और पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। आग लगने जैसी घटनाओं से बचने के लिए अत्याधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम भी विकसित किया गया है।

यही नहीं आधुनिक अग्निशमन प्रणाली और पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ओपन जिम, वाकिंग ट्रैक, फूड कोर्ट, शॉपिंग आर्केड भी विकसित की गई है। हब में छात्र-छात्राओं के बेहतर अध्ययन का माहौल उपलब्ध कराने के लिए 500 छात्रों की क्षमता वाली अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त दो मंजिला लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी की भी स्थापना की गई है।

यदि जयपुर स्थित कोचिंग संस्थान तृतीय चरण में भी कोचिंग हब में निर्मित संस्थानिक परिसरों के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो नियमानुसार जयपुर से बाहर के कोचिंग संस्थान/स्टार्टअप कोचिंग हब में निर्मित सांस्थानिक परिसरों का आवंटन करा लेंगे। निकट भविष्य में यदि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन D.B. Civil Writ Petition No. 1481/2018, Kunal Rawat v/s | State Of Raj And Ors, Connected With D.B. Civil Writ Petition No. 14228/2019, Jawab Do Sarkar v/s State Of Rajasthan में जयपुर के कोचिंग संस्थानों के विपरीत निर्णय होता है या जयपुर विकास प्राधिकरण अथवा नगर निगम जयपुर हैरिटेज/नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा रिहायशी एवं भीड़ भरे क्षेत्रों में स्थित कोचिंग संस्थानों को पार्किंग, भू-उपयोग, बिल्डिंग बायलॉज के उल्लंघन या फायर सेफ्टी नॉर्म्स की पालना न करने आदि कारणों से कोई नोटिस/सीलिंग अथवा कानूनी कार्रवाई की जाती है तो तब तक कोचिंग हब में सांस्थानिक परिसर आवंटित कराने का अवसर भी जयपुर स्थित कोचिंग संस्थानों के हाथ से निकल जाएगा।

**कोचिंग हब अब निर्मित संस्थानिक संपत्तियों को तृतीय चरण में "खुद चुनो-खुद खरीदो" का सुनहरा मौका भी दे रहा है।**

**ऑनलाइन आवेदन प्रत्येक सोमवार से बुधवार तक  
योजना प्रारंभ तिथि: 19 जून, 2023**

अधिक जानकारी के लिए मौके पर स्थापित हैल्पडेस्क पर सम्पर्क करें अथवा

हेल्पलाइन नं. कार्यालय समय में: 0141-2744688, 2740009 कार्यालय समय उपरान्त: 9461054291/92/319 एवं 9460254319, शांतनु वाष्णीय: 9983131666, पवन सोनी: 8852000770 या समन्वयक अधिकारी श्री भारत भूषण जैन: 9828363615 से सम्पर्क करें।

RHB की वेबसाइट  
के लिए  
Scan करें



कोचिंग हब की  
हेल्प डेस्क की  
लोकेशन के लिए  
Scan करें

